

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या-15/आरोप (गोपालगंज) 02-35/2026-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-----

अपर समाहर्ता, गोपालगंज की अध्यक्षता में दिनांक-12.03.2026 एवं 13.03.2026 को त्रि-सदस्यीय टीम द्वारा गोपालगंज सदर अंचल का निरीक्षणोपरांत प्रतिवेदित कतिपय त्रुटियों एवं RCMS पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में श्री रजत कुमार वर्णवाल, अंचलाधिकारी, गोपालगंज सदर के विरुद्ध मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं विलम्ब से कार्यालय आने, दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन में एकरूपता एवं समरूपता नहीं बरती जाने, FIFO का अनुपालन नहीं करने तथा Pick & Choose नीति के आधार पर आवेदनों का निष्पादन करने, जिला स्तर से प्राप्त पत्रों (206) को विगत कई माह से लंबित रखे जाने, आधार सीडिंग में गोपालगंज, सदर अंचल का प्रदर्शन अन्य अंचलों से अपेक्षाकृत काफी कम होने, भू-राजस्व संग्रहण विभागीय लक्ष्य से काफी कम होने, परिमार्जन प्लस के तहत ऑनलाईन जमाबंदी में सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों में अंचलाधिकारी के लॉगिन पर 231 मामले तथा छुटे हुए जमाबंदी का डिजिटাইज्ड हेतु प्राप्त आवेदनों में अंचल अधिकारी के लॉगिन में 100 आवेदन लंबित होने, राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों के स्कैनिंग एवं निष्पादन की गति काफी धीमी होने, मापी कार्य में अभिरुचि नहीं लेने के फलस्वरूप काफी संख्या में मामले लंबित रहने तथा राज्य स्तर पर CO POP रैंकिंग के आधार (फरवरी-2026) पर इनका रैंकिंग 390 होने एवं राजस्व संबंधी कार्यों में इनके खराब प्रदर्शन संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-727(15), दिनांक-03.06.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री वर्णवाल द्वारा अपने कार्यालय अंचलाधिकारी, गोपालगंज सदर के पत्रांक-2642 दिनांक-03.07.2026 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री वर्णवाल को "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक" का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रजत कुमार वर्णवाल, अंचलाधिकारी, गोपालगंज सदर के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(v) के तहत को "संचयी प्रभाव के बिना 03(तीन) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/आरोप (गोपालगंज) 02-35/2026-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, गोपालगंज/श्री रजत कुमार वर्णवाल, अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/आरोप (गोपालगंज) 02-35/2026-.....1402.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/4/26

प्रतिलिपि:- माननीय/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री रजत कुमार वर्णवाल के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।